प्रेषक,

अजय कुमार शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग, लखनऊः दिनांक 10 फरवरी, 2023

विषयः अनुदान संख्या-41 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन के अन्तर्गत मानक मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-12/सी०ई०ओ०-3-42/3-2022, दिनांक-05 जनवरी, 2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-41 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन के लिए कुल रू० 4912000/- (रूपये उन्चास लाख बारह हजार) मात्र की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न प्रपत्र बी0एम0—9 (भाग—1) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों)

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में पुन: अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।

(2) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग उसी वित्तीय वर्ष में एवं उसी कार्य के लिये किया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग मात्र बजट की उपलब्धता हेतु सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के विषय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए औचित्य का परीक्षण कर लेंगे।

(4) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है ।